



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 20.09.2024

थाना बढापुर पुलिस के विरुद्ध दबिश के दौरान अभद्रता किये जाने सम्बंधी लगाये गये आरोपों का खण्डन किया जाता है, लगाये गये सभी आरोप असत्य व निराधार है।

अवगत कराना है कि कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढापुर पुलिस के विरुद्ध दबिश के दौरान महिलाओं से अभद्रता किये जाने आदि आरोप अंकित किये गये है। इस संबंध में अवगत कराना है कि ऐस्टेट होल्डिंग प्रा०लि० द्वारा थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुंआखेडा खदरी में 155 बीघा जमीन (12.351 हेक्टेयर) तहसील नगीना के कुंआखेडा क्षेत्र में 5 स्टार रिजार्ट बनाने हेतु खरीदी गयी थी। आवेदक द्वारा दिनांक 20.06.2024 को जिलाधिकारी, बिजनौर से उक्त प्रोजेक्ट हेतु भूमि क्रय करने की अनुज्ञा प्राप्त की गयी है, जिसकी पैमाइश राजस्व विभाग द्वारा की गयी थी। इसके बाद विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि में अस्थाई निर्माण को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके संबंध में आवेदक की तहरीर पर मु०अ०सं० 188/2024 धारा 191(2)/352/324(2)/308(3)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना के क्रम में बढापुर पुलिस द्वारा आरोपीगणों से पूछताछ की गयी। इसके उपरान्त आरोपीगण द्वारा पुनः उक्त भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर निर्माण किये जा रहे पिलर व कोठरी में तोडफोड की गयी, जिसके संबंध में थाना बढापुर पर मु०अ०सं० 190/24 धारा 331(4)/305/351(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में प्रयुक्त गाडी स्कार्पियो नं० UK08AC4462 को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है व उसके चालक फरदीन पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मौ० काजीसराय कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना बढापुर पुलिस द्वारा किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है बल्कि आरोपीगण द्वारा पुलिस कार्यवाही से बचने के लिये मनगढत झूठे आरोप लगाये गये है।

थाना बढापुर पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप असत्य व निराधार है, जिनका बिजनौर पुलिस पूर्णतः खण्डन करती है।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 20.09.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 354/452/506 भादवि व धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 80,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 06.08.2020 को वादिनी द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि राजू पुत्र सुशील निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर वादिनी के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 204/2020 धारा 354/452 भादवि बनाम राजू पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी । विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा धारा 354/452/506 भादवि व धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त राजू पुत्र सुशील निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । अर्थदण्ड की धनराशि अस्सी हजार रुपये में से सत्तर हजार रुपये पीडिता को प्रतिकर के रूप में देय होंगे ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

राजू पुत्र सुशील निवासी ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 20.09.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	शिवालाकलां	पिन्टू शर्मा उर्फ योगेन्द्र पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी ग्राम शिवाला खुर्द थाना शिवालाकलां
2	शेरकोट	ताजिम उर्फ तज्जू पुत्र मीनू उर्फ यामीन निवासी मौ० इमामबाडा कस्बा शेरकोट
3	शेरकोट	हसीन पुत्र भूरे खाँ उर्फ फईम अहमद निवासी मौ० इमामबाडा कस्बा शेरकोट
4	शेरकोट	गुलफाम पुत्र इशाक निवासी मौ० इमामबाडा कस्बा शेरकोट
5	अफजलगढ	असलम पुत्र असगर निवासी ग्राम कासमपुर गढी थाना अफजलगढ
6	नगीना	सईद पुत्र रशीद निवासी मौहल्ला काजी सराय कस्बा व थाना नगीना
7	नूरपुर	पवन पुत्र रोहिताश निवासी ग्राम लिन्डरपुर थाना नूरपुर
8	नूरपुर	लक्ष्मीकान्त उर्फ रिकू पुत्र रणजीत सिंह निवासी ग्राम धमरौला थाना नूरपुर
9	नूरपुर	कपिल पुत्र धर्मपाल निवासी मौ० रविदासनगर कस्बा व थाना नूरपुर



थाना- शिवालाकलां



थाना शेरकोट



थाना अफजलगढ



थाना नगीना



थाना नूरपुर



थाना नूरपुर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 20.09.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 479/24 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 17.09.2024 को वादिनी श्रीमती गुलशन पत्नी अनिश अहमद निवासी ग्राम हीमपुर बुर्जुग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त ने वादिनी के घर से आभूषण, एलईडी टीवी व नगदी चोरी की है। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 479/24 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 479/24 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त वसीम पुत्र बन्दू निवासी हीमपुर बुर्जुग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर 51,500/- रुपये की नगदी व 01 एलईडी सैमसंग 43 इंच बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने साथी वाजिद पुत्र शौकत निवासी हल्दौर चौराहा थाना चांदपुर बिजनौर के साथ मिलकर गांव के ही अनिश अहमद के बंद मकान से चोरी की घटना की थी। जिसमें से मुझे 60 हजार रुपये व एलईडी मिली थी। बाकी के रुपये व आभूषण मेरे साथी वाजिद के पास है।

उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वाजिद पुत्र शौकत निवासी हल्दौर चौराहा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

वसीम पुत्र बन्दू निवासी ग्राम हीमपुर बुर्जुग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण -

- 1- 01 एलईडी टीवी
- 2- 51,500/- रुपये की नगदी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया
- 2- उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह
- 3- आरक्षी मुकेश कुमार
- 4- आरक्षी असलम
- 5- आरक्षी स्नेह सिद्धार्थ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 20.09.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 341/2024 धारा

191(2)/191(3)/109/115(2)/351(3)/117(2)/352 बीएनएस में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.08.2024 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र महेन्द्र, 2.कावेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण ग्राम गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 3.अमन निवासी ग्राम आलमपुर एडवा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 4.सौर्य पुत्र देवेन्द्र व इनके अज्ञात साथियों द्वारा वादी के साथ लात-धूसो



व लाठी, तबल से मारपीट की गई तथा राहुल उपरोक्त द्वारा जान से मारने की नियत से वादी पर तबल से वार किया गया । इस घटना में वादी व अन्य तीन व्यक्ति घायल हो गए । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 341/2024 धारा 191(2)/191(3)/109/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 117(2)/352 बीएनएस की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 20.09.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र महेन्द्र, 2.कावेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण ग्राम गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.राहुल पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.कावेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम गौहावर हल्लू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 1886 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावर

दिनांक – 20.09.2024

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 243/24 धारा 351(3)/74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.09.2024 को वादी ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.शक्तिमान पुत्र नरेश निवासी ग्राम फजलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की भतीजी के साथ छेडछाड व अश्लील हरकते की गई, विरोध करने पर अभियुक्तगण 2.रंजना राजभर व 3.रोहित निवासीगण ग्राम फजलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की भतीजी को जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 243/24 धारा 351(3)/74 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 20.09.2024 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शक्तिमान पुत्र नरेश निवासी ग्राम फजलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शक्तिमान पुत्र नरेश निवासी ग्राम फजलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री मैन कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2334 भूषण कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड़

दिनांक – 20.09.2024

थाना रेहड़ पुलिस ने मु0अ0सं0 110/2024 धारा 78(2)/74/351(2)/64(1)/62 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.09.2024 को वादी ने थाना रेहड़ पर तहरीर दी कि अभियुक्त रवि कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ रास्ते में जाते समय छेड़छाड़ की गयी तथा खेत में ले जाकर गलत काम करने का प्रयास किया एवं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 110/2024 धारा 78(2)/74/351(2)/64(1)/62 बीएनएस बनाम रवि उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 20.09.2024 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रवि कुमार पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम फजलपुर मच्छमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री बृजपाल सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2427 योगेश दत्त थाना रेहड़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 20.09.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अवैध जुआं खेल रहे दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

जनपद मे अवैध जुआ/सट्टा आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना अफजलगढ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हार जीत की बाजी लगाकर अवैध जुआ खेल रहे दो अभियुक्तगण 1.समीर पुत्र मौ० हनीफ निवासी मौ० बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 2. अशरफ पुत्र अहमद सईद निवासी



मौहल्ला मुमताज कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया । अभियुक्तगण के कब्जे से 52 ताश के पत्ते मय डिब्बी व 12,00 रुपये फड़ से व 900 रुपये जामा तलाशी से कुल 21,00 रुपये बरामद किये गए । बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु०अ०सं० 306/24 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. समीर पुत्र मौ० हनीफ नि० मौ० बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ जिला बिजनौर
2. अशरफ पुत्र अहमद सईद नि० मौहल्ला मुमताज कस्बा व थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

बरामदगी विवरण-

52 ताश के पत्ते मय डिब्बी व 12,00 रुपये फड़ से व 900 रुपये जामा तलाशी से कुल 21,00 रुपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री प्रवीण मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
2. हे०का० 153 बृजमोहन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
3. का० 2134 नितिन थाना अफजलगढ जिला बिजनौर ।